उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की दिनांक २८.०२.९७ को सम्पन्न हुई वर्ष १९९७ की प्रथम तथा परिषद की (१६४वीं) बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक २८.०२.९७ को बैठक प्रारम्भ हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :-

१-	श्री ब्रजेन्द्र सहाय अध्यक्ष/मुख्य सचिव उ०प्र०शासन।	अध्यक्ष
२-	श्री ए०पी० सिंह प्रमुख सचिव, आवास उ०प्र०शासन।	सदस्य
३-	श्री शेखर अग्रवाल सचिव, वित्त विभाग उ०प्र०शासन (प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
४-	श्रीमती सुरजीत कौर सन्धु आवास आयुक्त उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।	सदस्य
५-	श्री रंजीत श्रीवास्तव विशेष सचिव सार्वजनिक उद्यम विभाग उ०प्र०शासन (सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
६-	श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।	सदस्य
७-	श्री के०पी० सिंह मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक उ०प्र०, लखनऊ।	सदस्य
८-	डा० एन०के० गर्ग हेड कार्ड कैब, एच.एण्ड पी. डिवीजन (सी०बी०आर०आई०) रूड़की।	सदस्य
९-	श्री एस०के० वर्मा मुख्य अभियन्ता उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।	सदस्य
१०-	श्री चन्द्र प्रकाश अपर आवास आयुक्त एवं सचिव उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।	सचिव

विशेष आमन्त्री के रूप में।

१- श्री ए०के० पचौरी
मुख्य वास्तुविद नियोजक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।

....२/-

(90)

२- श्री हामिद मुस्तफा
वित्त नियन्त्रक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ ।

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्पति से निम्नवत् निर्णय लिये गये है :-

१	२
१- परिषद की १६३वी बैठक दिनांक ४.१२.९६ की कार्यवृत्त की पुष्टि ।	परिषद की १६३वीं बैठक दिनांक ४.१२.९६ के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी तथा मद संख्या-२० एवं मद संख्या-६२ में प्रस्तावित संशोधन की भी पुष्टि की गयी। एजेण्डा संख्या-३ के बिषय में प्रमुख सचिव, आवास के पत्र के आधार पर प्रदत्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसकी पुष्टि की गयी। परिषद व्दारा निर्देशित किया गया कि अनिस्तारित सम्पत्तियों में अलोकप्रिय एवं लोकप्रिय सम्पत्तियों के निस्तारण के बिषय में सूचना अलग-अलग दी जाय। आलेकप्रिय सम्पत्तियों जिनका डिजाइन त्रुटिपूर्ण है अथवा जिसकी माँग नहीं है उनके बारे में प्रारम्भ मे मेरठ, आगरा तथा कानपुर की अलोकप्रिय सम्पत्तियों के बिषय में यह जानकारी परिषद के सम्मुख रखी जाय कि विभिन्न चरणों में निर्मित होने वाली सम्पत्तियों के निर्माण की स्वीकृति किस-किस अधिकारी व्दारा दी गयी तथा कब-कब दी गयी।
२- परिषद की १६३वीं बैठक दिनांक ४.१२.९६ की अनुपालन आख्या।	परिषद की १६३वीं बैठक दिनांक ४.१२.९६ की आख्या परिषद व्दारा अवलोकित की गयी।
३- परिषद की १६२वीं बैठक दिनांक २८.३.९६ की अनुपालन आख्या।	१६२वीं बैठक दिनांक २८.३.९६ की अनुपालन आख्या परिषद व्दारा अवलोकित की गयी।
४- परिषद की योजनाओं में स्थित व्यावसायिक सम्पत्तियों हेतु देय टोकन धनराशि/भुगतान पद्धति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
५- स्वयं वित्त पोषित, (पंजीकृत) एवं डिपाजिट कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव आवास आयुक्त के स्तर से स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। डिपाजिट कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को अन्तिम करने हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किया गया। आवास आयुक्त को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु ५० लाख तक अधिकृत किया गया। उपरोक्त के अलावा विचारोपरान्त एक सब-कमेटी के गठन का निर्णय लिया जो कि प्रमुख सचिव, आवास की अध्यक्षता में होगी और उसमें आवास आयुक्त एवं वित्त विभाग के एक अधिकारी सदस्य होंगे। ५० लाख से ५ करोड़ तक के निर्माण कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति करने का अधिकार इस सब-कमेटी को होगा और ५ करोड़ से अधिक का परीक्षण सब-कमेटी व्दारा किया जायेगा और संस्तुति सहित प्रस्ताव परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

१	२	३
६-	शास्त्रीनगर योजना,मेरठ में आंशिक स्वयं वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत २९/६० प्रकार के २२३ नग फिनिश्ड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
७-	मंगल पाण्डेय नगर योजना,मेरठ में आंशिक स्वयं वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत ६५/२०० प्रकार के ५६ नग फिनिश्ड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
८-	मंगल पाण्डेय नगर योजना,मेरठ में आंशिक स्वयं वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत ८२/१६८ प्रकार के १४ नग फिनिश्ड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव को प्रमुख सचिव,आवास के अधीन कार्यरत आई०पी०एम०सी० सेल में विस्तृत परिक्षण हेतु भेजने के लिये निर्देशित किया गया।
९-	मंगल पाण्डेय नगर योजना,मेरठ में आंशिक स्वयं वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत ६४/१३७ प्रकार के २२ नग फिनिश्ड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
१०-	जागृति विहार योजना,मेरठ में आंशिक स्वयं वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत ७१/१८१ प्रकार के ५० नग फिनिश्ड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
११-	शास्त्रीनगर योजना मेरठ में आंशिक स्वयं वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत ५३/१२७ प्रकार के ५२ नग फिनिश्ड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
१२-	शास्त्री नगर योजना,मेरठ में आंशिक स्वयं वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत ७१/१८१ प्रकार के ११ नग फिनिश्ड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
१३-	राजाजीपुरम् योजना लखनऊ के सेक्टर-६,७ व १३ में पॉकेट के रूप में उपलब्ध २१.५३ एकड़ भूमि में अवशेष विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
१४-	विकास नगर विस्तार-प्रथम लखनऊ के जोन-बी के विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
१५-	विकास नगर योजना लखनऊ के सेक्टर-७ भाग व सेक्टर-८ में उपलब्ध १३ एकड़ भूमि के कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
१६-	विकास नगर योजना,लखनऊ सेक्टर-८ में आंशिक स्वयं वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत ६८/१४२ प्रकार के ५२ नग सेमी फिनिश्ड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।

१७- इंदिरा नगर, विस्तार योजना लखनऊ के सेक्टर-१०,१२,१६ व १७ में स्वयं वित्त पोषित परियोजना ९६ -ए के अन्तर्गत ६३/१६२ प्रकार के सेमी फिनिश्ड १८ नग एवं २५/५७ प्रकार के २८ नग फिनिश्ड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
१८- विकास नगर योजना,लखनऊ सेक्टर-७ व ८ में आंशिक स्वयं वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत ६३/१६२ प्रकार के ३५ नग सेमी फिनिश्ड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
१९- विकास नगर योजना,लखनऊ सेक्टर-७ व ८ में आंशिक स्वयं वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत ६५/२०० प्रकार के ३० नग सेमी फिनिश्ड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
२०- इन्दिरा नगर योजना, देहरादून में उ०प्र० जल निगम को ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत एक नलकूप एक एवं उच्च जलाशय के निर्माण हेतु ग्रीनवेल्ट/पार्क में १००० वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
२१- वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर-१७ में पूर्व स्वीकृत एक कमरे वाले चार मंजिले एफ-३१ प्रकार के १७५० फ्लैटस में से ८२० फ्लैटस को ४१० नग एफ-६२ प्रकार के फ्लैटस में परिवर्तित करके उनकी पुनरीक्षित प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
२२- वसुन्धरा योजना संख्या-३, सेक्टर-ग्यारह ,गाजियाबाद में आंशिक वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत ६२/११३ प्रकार के २० नग फिनिश्ड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
२३- वसुन्धरा योजना संख्या-३, सेक्टर-२बी, २सी, गाजियाबाद में आंशिक वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत ४३/६१ प्रकार के ९३ नग फिनिश्ड एवं २०/४९ प्रकार के ४० नग फिनिश्ड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
२४- वसुन्धरा योजना संख्या-३, सेक्टर-९, गाजियाबाद में आंशिक स्वयं वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत ६२/११३ प्रकार के १२१ नग फिनिश्ड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
२५- वसुन्धरा योजना संख्या-३, सेक्टर-९ गाजियाबाद में आंशिक स्वयं वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत ११०/११९ प्रकार के १४४ नग फिनिश्ड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।

१	२	३
२६-	आवास परिषद की जनपद कानुपर में प्रस्तावित भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-१, कानुपर में परिषद एवं चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानुपर के मध्य ३६.७५ एकड़ भूमि के आदान-प्रदान के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
२७-	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-९, बरेली की धारा-२८ हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव वापस लिया गया।
२८-	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-१, मऊ की धारा-२८ हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सब-कमेटी को अधिकृत किया।
२९-	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-८, सहारनपुर की धारा-२८ के प्रस्ताव की स्वीकृति।	सब-कमेटी को अधिकृत किया गया।
३०-	परिषद की इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ में समाविष्ट ग्राम-समीउद्दीन की भूमि खसरा संख्या-४१९-स टीका का पुरवा लखनऊ में स्थित ३२०० वर्ग फुट श्री अहमद अली के पक्ष में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	स्थगित किया गया ।
३१-	परिषद की सिकन्दरा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना आगरा में समाविष्ट भरत नगर गृहनिर्माण समिति की भूमि के सम्बन्ध में।	परिषद ने निर्देश दिये की इसमें सीलिंग की सीमा से अधिक भूमि होने के विषय में विस्तृत परीक्षण किया जाय और तब प्रस्ताव परिषद के समक्ष रखा जाय।
३२-	परिषद की इन्दिरा नगर योजना लखनऊ के अन्तर्गत रानीलक्ष्मीबाई स्कूल को शैक्षिक प्रयोग हेतु भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।	इस निर्देश के साथ स्वीकृत किया गया कि भूमि वर्तमान मूल्य दर पर परिषद नियमानुसार स्कूल हेतु आवंटित की जाय।
३३-	परिषद की इन्दिरा नगर योजना देहरादून में उ०प्र० जल निगम के पक्ष में प्रदिष्ट भूमि के विरूद्ध आरोपित दण्ड ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में।	सब-कमेटी को निर्णय हेतु अधिकृत किया गया।
३४-	इन्दिरा नगर योजना देहरादून के डाक-तार विभाग के पक्ष में आवंटित भूमि के विरूद्ध आरोपित दण्ड ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में।	सब-कमेटी को निर्णय हेतु अधिकृत किया गया।

१७- इंदिरा नगर/विस्तार योजना लखनऊ के सेक्टर-१०,१२,१६ व १७ में स्वयं वित्त पोषित परियोजना ९६ -ए के अन्तर्गत ६३/१६२ प्रकार के सेमी फिनिश्ड १८ नग एवं २५/५७ प्रकार के २८ नग फिनिश्ड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
१८- विकास नगर योजना,लखनऊ सेक्टर-७ व ८ में आंशिक स्वयं वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत ६३/१६२ प्रकार के ३५ नग सेमी फिनिश्ड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
१९- विकास नगर योजना,लखनऊ सेक्टर-७ व ८ में आंशिक स्वयं वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत ६५/२०० प्रकार के ३० नग सेमी फिनिश्ड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
२०- इन्दिरा नगर योजना, देहरादून में उ०प्र० जल निगम को ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत एक नलकूप एक एवं उच्च जलाशय के निर्माण हेतु ग्रीनवेल्ट/पार्क में १००० वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
२१- वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर-१७ में पूर्व स्वीकृत एक कमरे वाले चार मंजिले एफ-३१ प्रकार के १७५० फ्लैटस में से ८२० फ्लैटस को ४१० नग एफ-६२ प्रकार के फ्लैटस में परिवर्तित करके उनकी पुनरीक्षित प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
२२- वसुन्धरा योजना संख्या-३,सेक्टर-ग्यारह ,गाजियाबाद में आंशिक वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत ६२/११३ प्रकार के २० नग फिनिश्ड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
२३- वसुन्धरा योजना संख्या-३,सेक्टर-२बी,२सी,गाजियाबाद में आंशिक वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत ४३/६१ प्रकार के ९३ नग फिनिश्ड एवं २०/४९ प्रकार के ४० नग फिनिश्ड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
२४- वसुन्धरा योजना संख्या-३,सेक्टर-९,गाजियाबाद में आंशिक स्वयं वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत ६२/११३ प्रकार के १२१ नग फिनिश्ड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
२५- वसुन्धरा योजना संख्या-३, सेक्टर-९ गाजियाबाद में आंशिक स्वयं वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत ११०/११९ प्रकार के १४४ नग फिनिश्ड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।

१	२	३
३५-	परिषद की इन्दिरा नगर योजना लखनऊ में श्री राम प्रसाद वाल्मीकि को किश्तों में आवंटित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या बी-२५९ की बकाया धनराशि को पुनः किश्तों में किये जाने के सम्बन्ध में।	विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि आवंटी से १८ प्रतिशत ब्याज लेते हुए कुल देय राशि की ४ वर्षों की किश्तें कर दी जायें।
३६-	परिषद की राजाजीपुरम् योजना लखनऊ में श्री लल्लन पाण्डेय को पंजीकरण संख्या एल.डब्लू./पी.-२३४०(५) के विरूद्ध अविकसित भूखण्ड आवंटित करकने के सम्बन्ध में।	इस विषय में अन्तिम निर्णय हेतु प्रमुख सचिव,आवास एवं आवास आयुक्त को अधिकृत किया गया।
३७-	परिषद की राजाजीपुरम् योजना में स्थित दुर्बल आय वर्ग भवन संख्या सी-५६३४ का आवंटन/पंजीकरण पुर्नजीवित करते हुए देय दण्ड ब्याज की धनराशि में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
३८-	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की योजना संख्या-३,कानपुर में श्री विनय नारायन बन्ना को आवंटित भूखण्ड संख्या-११०९ के विरूद्ध देय अनिर्माण शुल्क माफ किये जाने के सम्बन्ध में।	विचारोपरान्त २ वर्ष की समयवृद्धि देने हेतु निर्णय लिया गया।
३९-	परिषद की इन्दिरा नगर योजना देहरादून की ले०के०डी०के० शर्मा को प्रदिष्ट संख्या-७६४ पर निर्माण हेतु समयवृद्धि के सम्बन्ध में।	विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया तथा निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित समयवृद्धि के पश्चात आगे समयवृद्धि नहीं दी जायेगी।
४०-	योजना संख्या-२,बरेली के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या ए-८०९ पर भवन निर्माण हेतु दिनांक ८.८.९७ तक की समयवृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।	स्वीकृत किया गया।
४१-	परिषद की इन्दिरा नगर योजना में श्री एस०के० मुट्टू(विकास आयुक्त) के पक्ष में परिषद भूखण्ड संख्या-१६५ पर निःशुल्क दिनांक ३१.१२.९७ तक निर्माण हेतु समयवृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	स्वीकृत किया गया।
४२-	इन्दिरा नगर योजना लखनऊ में स्थित अल्प आय वर्ग भवन संख्या-९/२२४ के विरूद्ध दण्ड ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में।	परिषद व्दारा निर्देशित किया गया कि अतिरिक्त ब्याज का ५० प्रतिशत माफ किया जाय।
४३-	परिषद व्दारा आवंटित व्यवसायिक सम्पत्तियों के विरूद्ध भुगतान में विलम्ब होने पर देय अतिरिक्त ब्याज के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।

...७/-

95

१	२	३
४४-	परिषद की राधिका बिहार योजना मथुरा में श्री अजय कुमार पोद्दार, विधायक को आवंटित भूखण्ड संख्या-४९१/१ के विरूद्ध देय अतिरिक्त ब्याज की धनराशि माफ किये जाने के संबंध में।	इस निर्देश के साथ स्वीकृत किया गया कि देय अतिरिक्त ब्याज/दण्ड ब्याज का ५० प्रतिशत माफ किया जाय।
४५-	आरक्षण श्रेणियों में जिन व्यक्तियों ने स्वेच्छा से परिवार नियोजन कार्यक्रम अपना लिया है उन्हें अपने दौर में वरीयता दिये जाने के सम्बन्ध में।	स्वीकृत किया गया ।
४६-	परिषद की चिरंजीलाल कन्या विद्यालय अलीगढ़ में मध्यम आय वर्ग भवन संख्या-१०/१ को डा० अखिलेश यादव पुत्र विजय पाल सिंह के पक्ष में आवंटित करने के सम्बन्ध में।	परिषद व्दारा विचार-विमर्श के दौरान पाया गया कि पूर्व में प्रश्नगत भवन स्टाफ के लिये आरक्षित था जिसे श्रीमती आयशा बेगम को भूमि अधिग्रहण के कोटे में परिषद व्दारा आवंटित किया गया। इस प्रकार यह भवन मुक्त/रिक्त सम्पत्ति की श्रेणी में आ गया। इस भवन को आवंटित करने हेतु डा० अखिलेश यादव ने आवेदन प्रस्तुत किया। परिषद का यह मत था कि वर्तमान में यह भवन मुक्त/रिक्त सम्पत्ति की श्रेणी में उपलब्ध है अतः इसे स्टाफ क्वार्टर से रिक्त के श्रेणी में नहीं माना जाना चाहिये। भवन को आवंटित करने हेतु निर्णय के लिये आवास आयुक्त को अधिकृत किया गया।
४७-	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लिपिकीय सेवा विनियम-१९८० में संशोधन।	स्थगित किया गया ।
४८-	श्रीमती रेखा पन्त, वास्तुविद नियोजक को द्विवार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने विषयक।	स्थगित किया गया । निर्देशित किया गया कि इसे आगामी बैठक में रखा जाय।
४९-	स्व० श्री पी० दयाल, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के मृतक आश्रित को परिषद में सेवायोजित करने के सम्बन्ध में।	अस्वीकृत किया गया ।
५०-	श्री राजू भटनागर, सहायक लेखाकार, सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय इन्दिरा नगर लखनऊ के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श के पश्चात अवगत कराया गया कि हाल ही में जारी उद्यम ब्यूरो के सरकुलर के अनुसार ५० हजार रूपये तक के मामले अब विभागाध्यक्ष व्दारा ही निर्णीत किये जा सकते हैं। अतः निर्देश दिये गये कि आवास आयुक्त इसमें स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हैं।

96

१	२	३
५१-	श्री अशोक कुमार गुप्ता, मुख्य सहायक को हुए 'हार्ट अटैक' की चिकित्सा कराने एवं हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
५२-	दैनिक वेतन भोगी/मस्टर रोल कर्मचारियों के दैनिक दरों के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर निर्णय हेतु अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त को अधिकृत किया गया।
५३-	वर्ष १९९४-९५ की बैलेंस शीट हेतु परिषद की व्याख्यात्मक टिप्पणी।	अनुमोदित किया गया।
५४-	४० वर्ग. मीटर तक के क्षेत्रफल के भूखण्डों एवं भवनों के मानचित्र एवं भवन निर्माण अनुज्ञा के प्राविधान में शिथिलता।	स्वीकृत किया गया।
५५-	अनाधिकृत निर्माण की कम्पाउण्डिंग हेतु विकास प्राधिकरण अपराधों के शमन उपविधियां १९९६ की परिषद में अपनाने के सम्बन्ध में।	स्वीकृत किया गया।
५६-	सहकारी आवास समितियों को भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।	सहकारी आवास समितियों के विषय में प्रस्ताव अनुमोदित किया गया । विचारोपरान्त पाया गया कि गाजियाबाद में परिषद की एक ही योजना है। जो भूमि नियमानुसार आवास समितियों को देय है वह माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आवंटित की जा चुकी है। वर्तमान में कुछ आवास समितियां पिछले कई वर्षों से आवंटन हेतु आवेदन कर रही हैं। गाजियाबाद में मांग भी काफी अधिक है इन सभी बिन्दुओं पर विचारोपरान्त परिषद ने निर्णय लिया कि गाजियाबाद की आवासीय योजना में सहकारी आवास समितियों को भूमि ग्रुप हाऊसिंग हेतु देने पर अनुमोदित नीति के अन्तर्गत विचार कर लिया जाय।
५७-	वित्तीय वर्ष १९९६-९७ में माह जनवरी-१९९७ तक परिषद की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों का विवरण।	अनुमोदित किया गया।
५८-	मुरादाबाद की मंझोला योजना संख्या-४,भाग-१ में परिषद के ३ कार्यालयों हेतु एस०एफ०एस०-८९ के अन्तर्गत निर्मित ७५/२०० प्रकार के ६ नग सेमी फिनिश्ड भवनों(भवन संख्या-३ सी-२४२ से ३सी/२४७ तक) के अवशेष फिनिशिंग कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।	अनुमोदित किया गया।

...९/-

१	२	३
५९-	मंझोला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-४(भाग-१) मुरादाबाद में समाविष्ट श्री रामस्व बोर्ड मिल्स की भूमि के संबंध में।	विचार-विमर्श के दौरान निर्देश दिये गये कि वर्तमान विकास शुल्क की गणना करके २० प्रतिशत विकास शुल्क तत्काल लेना उचित होगा। यह शर्त लगायी जाय कि भविष्य में जब भी कभी भू-स्वामी इस भूमि का प्रयोग गत्ता सुखाने अथवा गत्ते की फैक्ट्री से अलग किसी और प्रयोजन के लिये करेगा उस समय उनसे तत्समय प्रचलित दर पर विकास शुल्क की गणना करके,गणना किये गये विकास शुल्क का ८०%वसूल किया जायेगा।
६०-	खीरी रोड योजना लखीमपुर खीरी में डानवास्को स्कूल लखीमपुर खीरी से संबंधित अर्जन मुक्त एवं आवंटित भूमि के सम्बन्ध में।	सब-कमेटी को निर्णय हेतु अधिकृत किया गया।
६१-	परिषद की कुर्सी रोड विस्तार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना(द्वितीय चरण) लखनऊ की धारा-३१ के अन्तर्गत प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में।	वापस लिया गया।
६२-	इन्दिरा नगर द्वितीय विस्तार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना,फैजाबाद रोड लखनऊ धारा-३१ के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	वापस लिया गया।
६३-	परिषद की योजना में प्रदिष्ट भूखण्डों पर विनियम-२२ के अन्तर्गत भवन निर्माण समयवृद्धि दिये जाने के सम्बन्ध में।	सब-कमेटी को निर्णय हेतु अधिकृत किया गया।
६४-	श्री जमील अहमद चपरासी,विधि अनुभाग मुख्यालय लखनऊ के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में।	सब-कमेटी को निर्णय हेतु अधिकृ किया गया।
६५-	सेलेक्शन ग्रेड/प्रोन्नति वेतनमान के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक ३.६.८९ के क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांक ८.३.९५ एवं दिनांक ५.२.९७ को परिषद में अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सब-कमेटी को निर्णय हेतु अधिकृत किया गया।
६६-	पंजीकरण/रिफण्ड कार्य मुख्यालय से स्थानीय सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालयों में विकेन्द्रीकरण करने के सम्बन्ध में।	सब-कमेटी को निर्णय हेतु अधिकृत किया गया।

१	२	३
६७-	अनाधिकृत निर्माण की कम्पाउडिंग हेतु विकास प्राधिकरण अपराधों की शमन उपविधियां १९९६ को परिषद में अपनाने के सम्बन्ध में।	सब-कमेटी को निर्णय हेतु अधिकृत किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिषय।

१(६८)	सहायक अभियन्ता के प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों निर्धारित प्रतिशत में वृद्धि।	सब-कमेटी को निर्णय हेतु अधिकृत किया गया।
२(६९)	परिषद की जिगर कालोनी मुरादाबाद में भवन संख्या-ए-३३,ए-३४ एवं ए-३७ के आवंटन के संबंध में।	सब-कमेटी को निर्णय हेतु अधिकृत किया गया।
३(७०)	इन्दिरा नगर योजना लखनऊ में समाविष्ट संख्या-१४६ व १४७ के सम्बन्ध में।	सब-कमेटी को निर्णय हेतु अधिकृत किया गया।

पुष्टि की गयी

[signature]

अध्यक्ष